

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 162/2016/वाद

- 1 अब्दुल गनी पिता सिद्धिकी जाति घांची मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी बांसवाडा।
- 2 उस्मान पिता सिद्धिकी जाति घांची मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी बांसवाडा।
- 3 अब्दुल अजीज पिता सिद्धिकी जाति घांची मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी बांसवाडा।

- वाद
- बनाम**
- 1 शेर मोहम्मद पिता रसूल जाति घांची मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी बांसवाडा।
 - 2 श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील गढी जिला बांसवाडा।

उपस्थिति - श्री अतिक अहमद अभिभाषक वादीगण
श्री राजेन्द्र पाटीदार अभिभाषक प्रतिवादीगण

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53,209 आर.टी.एक्ट निर्णय

दिनांक :- 9/11

वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,209 आरटी 0 ए पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश् की कृषि भूमि खाता संख्या 10 (नया) 07 (पुराना) के आराजी खसरा नम्बर सर्वे नम्बर 2123 रकबा 0.40 है, किस्म भू0गो तृतीय मगरी वाके ग्राम सेमलिया पटवार क्षेत्र गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा राज में स्थित है। इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। राजस्व लोक अदालत केम्प गढी में दिनांक 16.06.2017 को पक्षकारन ने उपस्थित होकर निहित हिस्से के अनुसार बटवारा आराजीयात करने की प्रार्थना की जिस पर वाद वादी प्रारम्भिक डिक्री किया गया। तहसीलदार गढी को पत्र क्रमांक 1922 दिनांक 04.12.2017 को बटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु लिखा गया था। बाद तहसीलदार द्वारा बटवारा प्रस्ताव पत्र क्रमांक 1951 दिनांक 15.12.2017 को पेश हुआ। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के बटवारा में वाके ग्राम सेमलिया में 2123/1 रकबा 0.40 है, मे से 0.11 है किस्म भू0गो0तृतीय, 0.01 है किस्म मगरी, 0.28 है किस्म भूगो द्वितीय, शेरमोहम्मद पिता रसूल मोहम्मद घांची मुसलमान सा0देह खातेदार 2/3 व अब्दुल गनी, उस्मान, अब्दुल अजीज पिता सिद्धिकी जाति घांची मुसलमान 1/3 सा0देह साके खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। जो शामिल पत्रावली है। अतः वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं बटवारा निम्न प्रकार स्वीकार किया जाता है।

- 1 शेर मोहम्मद पिता रसूल जाति घांची मुसलमान निवासी गढी के हक में आराजीयात खसरा नम्बर 2123/1 रकबा 0.40 है, मे से 0.11 है किस्म भू0गो0तृतीय, 0.01 है किस्म मगरी, 0.14 है किस्म भूगो द्वितीय, कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.26 है रहेगी।
- 2 अब्दुल गनी पिता सिद्धिकी, उस्मान पिता सिद्धिकी, अब्दुल अजीज पिता सिद्धिकी जाति घांची मुसलमान निवासी गढी के हक में आराजीयात खसरा नम्बर 2123/2 रकबा 0.14 किस्म भू0गो0द्वितीय कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.14 है रहेगी।

(ऑर्डर 20 रूल 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढी व इजलास सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 162/2016/वाद

- 1 अब्दुल गनी पिता सिद्धिकी जाति घांची मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
- 2 उस्मान पिता सिद्धिकी जाति घांची मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
- 3 अब्दुल अजीज पिता सिद्धिकी जाति घांची मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

— वादीगण

बनाम

- 1 शेर मोहम्मद पिता रसूल जाति घांची मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
- 2 श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील गढी जिला बांसवाडा।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,209 आर.टी.एक्ट अधिनियम

1 शेर मोहम्मद पिता रसूल जाति घांची मुसलमान निवासी गढी के हक आराजीयात खसरा नम्बर 2123/1 रकबा 0.40 है0, मे से 0.11 है0 किस्म भू0गो0तृतीय, 0.01 किस्म मगरी, 0.14 है0 किस्म भू0गो द्वितीय, कुल किता 1 कुल रकबा 0.26 है0 रहेगी।

2 अब्दुल गनी पिता सिद्धिकी, उस्मान पिता सिद्धिकी, अब्दुल अजीज पिता सिद्धिकी जाति घांची मुसलमान निवासी गढी के हक में आराजीयात खसरा नम्बर 2123/2 रकबा 0.14 है0 किस्म भू0गो द्वितीय कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 है0 रहेगी।

खर्चा पक्षकारन् अपना अपना वहन करे।



दिनांक :- 31/118

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, गढी
गढी, जिला बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टॉप की अर्जी दावा	—	स्टॉम्प वकालतना	—
स्टॉम्प वकालतनामा	—	स्टॉम्प अर्जी	—
स्टॉम्प वजह सबूत	—	मेहनताना वकील	—
मेहनताना वकील	—	गवाहान खर्च	—
खर्चा गवाहान	—	फिस कमिश्नर	—
फिस कमिश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	—
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुतफरीक	—